FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0215 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/09/2024 13:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 25/09/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:05 बजे **Time To (समय तक):** 11:40 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/09/2024 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/09/2024 13:26:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 01 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** KARYALAY BAL VIKAS PARIYOJANA, ADHIKARI MAHILA AVM BAL VIKAS, VIBHAG SAWAI MADOPUR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ALI HUSAIN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ALTAF HUSAIN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BISAYATI MOHALLA SHAHAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BISAYATI MOHALLA SHAHAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMKISHAN KUMHAR		पिता:MORI LAL	1. SUNARI,SAWAI MADHOPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2024 समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री अली हुसैन पुत्र अलताफ हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी बिसायती मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर ने ब्यूरो कार्यालय एसीबी सवाई माधोपुर मे उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आषय का पेश किया कि मैं अली हुसैन पुत्र अलताफ हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी बिसायती मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बहन फरहानाज पुत्री अलताफ हुसैन निवासी शहर सवाई माधोपुर ने आगंनबाडी सहायिका के पद पर आवेदन किया था, जिस पर मैं पंचायत समिति परिसर के अन्दर स्थित कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर गया। जहां पर मैने मेरी बहन के आवेदन के बारे में जानकारी की तो उस कार्यालय में मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम रामकिशन बताया था, उसने कहा कि मैं यहां पर काम करता हूँ मैं तुम्हारी बहन का चयन आंगनबाडी सहायिका के पद पर करा दूंगा। तुम्हे मुझे 20,000/- रूपये देने होंगे। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई रंजिश लेन-देन नही है। मैं रामकिशन किस पद पर स्थापित है इसकी मुझे जानकारी नही है। कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया । परिवादी अली हुसैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाता इसलिऐ रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात समय 12.25 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी अली हुसैन से परिचय करवाकर हम्मीर सिंह कानि. को परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री रमेश कुमार कानि. 469 से कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजिटल वाँईस रिकाँर्डर को निकलवा कर परिवादी अली हुसैन के समक्ष वाँईस रिकाँर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर व वाँईस रिकाँर्डर में मैमोरी कार्ड (माइक्रो एसडी 8 जीबी) लगाकर वाँईस रिकाँर्डर को चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री अली हुसैन को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकाँर्ड करने हेतु वाँईस रिकाँर्डर को श्री हम्मीर सिंह कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी के पास जाने से पूर्व वाँईस रिकाँर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें एवं रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वाँईस रिकाँर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाँईस रिकाँर्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 12.50 पीएम पर परिवादी श्री अली हुसैन एवं श्री हम्मीर सिंह कानि. को अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकिल से संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पंचायत समिति परिसर में स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर के लिए बाद हिदायत समझाईश कर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 01.30 पीएम पर कानि. हम्मीर सिंह मय परिवादी श्री अली हुसैन के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा वापिस आया। परिवादी अली हुसैन ने बताया कि मैं व हम्मीर सिंह कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय पंचायत समिति सवाई माधोपुर के परिसर के पास पहुंचे, जहां पर एकान्त स्थान पर मुझे श्री हम्मीर सिंह कानि. द्वारा वाँईस रिकाँर्डर चालू कर सुपुर्द करने पर मैं हम्मीर सिंह जी के पास से रवाना होकर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर के अन्दर चला गया। हम्मीर सिंह जी कार्यालय के आस-पास ही रूक गये थे। मैं कार्यालय के अन्दर चला गया, जहां पर एक कमरे में एक व्यक्ति कम्प्यूटर पर काम करता हुआ बैठा मिला, जिसने मुझे अपना नाम रामकिशन होना बताया था। मैं जाकर उनसे मिला और मैने उनसे मेरी बहिन के कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की मैने कहा की बीस हजार तो ज्यादा है, थोडा कम करो इस तो उन्होने मेरे से कहा किसलिये आये हो तो मैने कहा की बीस तो ज्यादा हो जायेगे। मेरे निवेदन करने पर रामकिशन 15,000/- रूपये लेने पर सहमत हो गया। मैने उन्हे रिश्वत राशि 15,000/- रूपये 17 तारीख को देने के लिये कहा है। सभी बाते मैंने वाँईस रिकाँर्डर में रिकाँर्ड कर ली तथा बाहर आकर वाँईस रिकाँर्डर श्री हम्मीर सिंह कानि. को सुपुर्द कर दिया। जिन्होने उसे बन्द कर अपने पास रख लिया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. हम्मीर सिंह से पूछा तो कानि. ने परिवादी की बातो को ताईद करते हुये बताया मैंने वाँईस रिकाँर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया था तथा मैं परिवादी के रवाना होने के पश्चात उसके पीछे-पीछे रवाना हो गया था। मेरे समक्ष परिवादी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर में प्रवेश कर गया था। में वही

अपनी उपस्थिति छिपाते हुये कार्यालय के आस-पास रूक गया था। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हम्मीर सिंह कानि. से वाँईस रिकाँर्डर प्राप्त कर परिवादी व हम्मीर सिंह कानि. के समक्ष कार्यालय कक्ष में लेपटॉप स्पीकर मंगवाकर वाँईस रिकाँर्डर को लेपटॉप से अटैच कर रिकाँर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के कथन की पुष्टि होना पायी गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मैमोरी कार्ड में रिकाँर्ड होना पाई गयी। रिकाँर्ड वार्ता का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया गया। वाँईस रिकाँर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा। फर्द वापसी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 2.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अली हुसैन को संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/- रूपये साथ लेकर दिनांक 17.09.2024 को प्रातः समय 10.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 17.09.2024 समय 10.45 एएम पर ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना होने पर स्वतंत्र गवाहो की आवश्यकता होने से तहसीलदार तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर के नाम पत्रांक 1004 दिनांक 17.09.2024 जारी कर दो स्वतंत्र गवाह लाने के लिये श्री मनोज कुमार कानि. 133 को रवाना किया गया। इसके पश्चात समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री अली हुसैन एसीबी चौकी सवाई माधोपुर पर उपस्थित आया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे से आरोपी रामकिशन को देने के लिये पन्द्रह हजार रूपये की व्यवस्था नही हुई है। मैने आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली 5 हजार रूपये रिश्वत राशि साथ लेकर आया हुँ। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि अपने पास रखने एवं मांगने पर पेश करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात समय 12.50 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानि. स्वतंत्र गवाहान श्री विजय कुमार सेन पुत्र रमेश चन्द जाति नाई उम्र 41 वर्ष निवासी सूरवाल जिला सवाई माधोपुर हाल पटवारी पटवार हल्का ठींगला, जटवाडा, तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर एवं श्री अंकित कुमार गर्ग पुत्र श्री महेश चन्द गर्ग जाति महाजन उम्र 30 साल निवासी 76, जवाहर नगर सवाई माधोपुर हाल हल्का पटवारी पटवार हल्का करमोदा, तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर को साथ लेकर कार्यालय आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहन से परिचय प्राप्त कर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री अली हुसैन से दोनों गवाहान का आपस मे परिचय करवाया। दोनो गवाहों से होने वाली ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने अपनी अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने अपने हस्ताक्षर कियें। इसके पश्चात समय 01.15 पीएम पर डिजिटल वाँईस रिकाँर्डर में दिनांक 12.09.2024 को हुई रिश्वत मांग के सम्बन्ध में रिकाँर्ड की गई वार्ताएं जो डिजिटल वाँईस रिकाँर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वाँईस रिकाँर्डर को चालू कर दोनो गवाहान व परिवादी को मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। परिवादी ने रिकार्डर की वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी रामकिशन की होना बताया। दोनो गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकार्ड वार्ताओं में रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। इसके पश्चात समय 01.30 पीएम पर पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अली हुसैन पुत्र अलताफ हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी बिसायती मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर ने अपने पास से निकालकर आरोपी रामकिशन को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु 5,000/- रूपये के पांच पांच सौ के 10 नोट कुल अक्षरे कुल पांच हजार रूपये मन सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर पृथक पृथक निम्न प्रकार है- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 FM 296438 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 BG 768601 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0 CV 848115 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9 FN 595670 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 EH 963851 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 GB 080776 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 QW 163780 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8 VB 671676 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2 LH 634825 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1 VQ 795571 श्री रमेश कुमार कानि. 469 कार्यवाहक मालखाना प्रभारी से मालखाना का ताला खुलवाकर श्री रामकेश कानि. 98 से फिनोंफ्थलीन पावडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री अली हुसैन की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार सैन पटवारी से लिवाई जाकर परिवादी श्री अली हुसैन के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 5,000/- रूपयों को परिवादी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब में श्री रामकेश कानि. 98 से रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाह श्री अंकित कुमार पटवारी से उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री रामकेश कानि. 98 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवं परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी ने रिश्वत राशि प्राप्त की है। समझाईश प्रक्रिया के बाद जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन

पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिकवाकर डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पावडर के डिब्बे को वापस मालखाने में रखवाया गया। श्री रामकेश कानि. 98 के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी श्री अली हुसैन को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री अली हुसैन को समझाया की रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल करें। डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। कार्यवाही की फर्द पेषकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थ्लीन पाउडर नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात समय 01.55 पी.एम. पर परिवादी अली हुसैन, श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को प्राईवेट मोटर साईकिल से आगे आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्री राजवीर सिंह कानि. 149 व मनोज कुमार कानि. को मनोज कुमार कानि की मोटर साईकिल से रवाना किया। उनके पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा स्वतंत्र गवाह विजय कुमार सैन पटवारी, अंकित गर्ग पटवारी, श्री रमेश कुमार कानि., भोलाराम कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के प्राईवेट वाहन से कार्यालय पंचायत समिति सवाई माधोपुर में स्थित कार्यालय महिला एवं बाल विकास सवाई माधोपुर रवाना हुये। नोटों पर पाउडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि. 98 को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा गया। इसके पश्चात समय 01.55 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पंचायत समिति के पास पीर बाबा की मजार के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी अली हुसैन को वाईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपी रामकिशन के पास रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ के पंचायत समिति के आस-पास बाहर खडे होकर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय 02.20 पीएम पर परिवादी श्री अली हुसैन बिना ईशारा किये ही पंचायत समिति के बाहर आकर कुछ दूरी पर पीर बाबा की मजार के पास आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि जब मैं आरोपित रामकिशन से मिला तो वहां पर दो-तीन अन्य व्यक्ति व महिला बैठी हुयी थी। मैने रामकिशन जी से कहा की आपने आज मुझे बुलाया था ना तो आरोपी ने कहा की मैं तुझे फोन करके बुलाउंगा जब ही आना और रामकिशन ने मुझसे मेरे फोन नम्बर ले लिये और कहा कि मैं तुझे कल या परसो फोन करके बुला लूंगा, तू परेशान मत हो। इस पर मैने उनसे उनका पद पूछा तो रामकिशन जी ने अपना पद अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी होना बताया। आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/- रू. मेरी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की साईड की बांयी तरफ की जेब में रखी हुई है। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हमराह ब्यूरो चौकी सवाई-माधोपुर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 02.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो सहित मय प्राईवेट वाहनो तथा ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप, प्रिन्टर आदि उपकरण सहित उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा ब्यूरो चौकी सवाई-माधोपुर पहुचा। इसके पश्चात समय 02.35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री अली हुसैन से आरोपित रामकिशन की मांग के अनुसरण में रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/- रू. जो फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर 500-500 रू. के दस नोट कुल 5,000/- रू. सुपुर्द किये गये को मौके पर आरोपी के पास दो-तीन अन्य व्यक्ति व महिला होने के कारण आरोपी द्वारा नहीं लिये गये, को पाउडर लगाने वाले रामकेश कानि. 98 से स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अली हुसैन की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की बांयी साईड की जेब में रखी हुई पाउडरयुक्त रिश्वती राशि को निकलवाया जाकर नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व मुर्तिव फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर से स्वतन्त्र गवाहान से करवाने पर हुबहु नम्बरी नोट पाये गयें, जिन्हे श्री रामकेश कानि 98 से एक खाली सफेद लिफाफे में रखवाये जाकर श्री रमेश कुमार कानि. नं. 469 कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात समय 02.45 पीएम पर वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 12.09.2024 को परिवादी अली हुसैन व आरोपी रामकिशन के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 12.09.2024 जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमेोरी कार्ड में रिकार्ड थी, को परिवादी अली हुसैन एवं स्वतंत्र गवाहन के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.09.2024 को कार्यालय कमप्यूटर से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सुन-सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 12.09.2024 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री हम्मीर सिंह कानि. से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क ए-1 व दो डीवीडीयां क्रमश- मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क ए-2, ए-3 अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 03-50 पीएम पर वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 17.09.2024 को परिवादी

अली हुसैन व आरोपी रामकिशन के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन सम्बन्धित वार्ता दिनांक 17.09.2024 जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमेारी कार्ड में रिकार्ड थी, को परिवादी अली हुसैन एवं स्वतंत्र गवाहन के समक्ष रिश्वत लेन-देन सम्बन्धित वार्ता दिनांक 17.09.2024 को कार्यालय कम्प्यूटर से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सुन-सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 17.09.2024 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री हम्मीर सिंह कानि. से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क बी-1 व दो डीवीडीयां क्रमश- मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क बी-2, बी-3 अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 05.10 पीएम पर मूल पेन ड्राईव शील्ड मार्क ए-1, बी-1 कुल 2 को एवं मुल्जिम प्रति शील्ड डीवीडी मार्क ए-2, बी-2 को श्री रमेश कुमार कानि. 469 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 05.10 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री अली हुसैन को भी हिदायत की गई कि आरोपी जब कभी भी आपसे सम्पर्क करते है या रिश्वत राशि की मांग करते है तो तुरन्त सूचना देने हेतु पाबन्द कर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25.09.2024 समय 10.10 एएम पर परिवादी श्री अली हुसैन पुत्र अलताफ हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी बिसायती मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर ब्यूरो चौकी उपस्थित आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैंने अपने स्तर पर पता लगाया है कि मेरी बहिन फरहानाज पुत्री अल्ताफ हुसैन का आगंनवाडी सहायिका के पद पर चयन हो गया है। अगर आज मैं रामकिशन जी से जाकर मिलू तो हो सकता है वो मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर ले। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से शेष रिश्वती राशि दस हजार रूपये के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे से रिश्वती राशि दस हजार रूपये की व्यवस्था नही हुई है। इस पर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया और स्वतंत्र गवाह को जरिये दूरभाष सम्पर्क कर ब्यूरो चौकी में उपस्थित आने की हिदायत की गई, जो समय 10.20 एएम पर उपस्थित कार्यालय आये, जिनको कार्यालय मे बिठाया गया। इसके पश्चात समय 10.30 ए.एम. पर कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री रमेश कुमार कानि. से मालखाने का ताला खुलवाकर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 12.09.2024 को रामकेश कानि के मार्फत मालखाने में रखवायी गयी रिश्वत राशि 5,000/- रूपये के सफेद लिफाफे को श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर लिफाफे में रखी रिश्वती राशि 5,000/- रूपये को लिफाफे मे से निकलवाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष स्वतंत्र गवाहान से दिनांक 12.09.2024 को बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में सीधे ही रखवाये गये। लिफाफे को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय होने वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाकर रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात समय 10.45 एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी श्री अली हुसेन एवं कानि. हम्मीर सिंह को परिवादी की प्राईवेट मोटर साईकिल से एवं कानि. मनोज कुमार व राजवीर सिंह कानि को प्राईवेट मोटरसाईकिल से आवश्यक हिदायत देकर आगे-आगे रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह दोनों स्वतंत्र गवाह सर्वश्री विजय कुमार सैन, पटवारी व अंकित कुमार गर्ग, पटवारी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यगण सर्वश्री रमेश कुमार कानि. भोलाराम कानि. जरिये प्राईवेट वाहन के ट्रेप बॉक्स व ट्रेप सामग्री व सरकारी लेपटॉप मय प्रिन्टर के कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर लिये रवाना होकर समय समय 10.55 एएम पर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर से कुछ दूरी पहले पीर बाबा की मजार के पास पहुँचा। परिवादी श्री अली हुसैन से वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी को रिश्वत देने हेतु कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर रवाना कर उसके पीछे-पीछे कानि. हम्मीर सिंह को पैदल-पैदल रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों के प्राईवेट वाहनो को साईड में खडा करवाकर अपनी अपनी मौजूदगी छिपाते हुये रिश्वत स्वीकृति के मुकर्रर ईशारे हेतु मुकीम हुये। इसके पश्चात समय 11.40 एएम पर परिवादी श्री अली हुसैन पंचायत समिति परिसर में स्थित कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर के बाहर आकर रिश्वत प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ के कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर के पास पहुंचे। जहां परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी से डिजिटल वॉइस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने पूछने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस को बताया कि इस कार्यालय के सामने के कमरे में एक व्यक्ति बैठा है वही रामकिशन जी है जिसने अभी मुझसे रिश्वत राशि 5 हजार रूपये बांये हाथ से लेकर दांये हाथ से अपनी पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जैब में रखे है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ के परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास पहुंचकर अपना परिचय देकर आने का उद्देश्य बताया तथा उससे उसका नाम पता पूछा तो वह व्यक्ति एक दम से घबरा गया जिसे तसल्ली देकर बैठाया तथा उससे उसका नाम पुनः पूछा तो उसने अपना नाम रामकिशन कुम्हार होना बताया। रामकिशन से परिवादी अली हुसैन से ली गई रिश्वत राशि के

संबंध में पूछा तो रामकिशन ने अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की जैब से रिश्वत राशि निकालकर टेबिल पर रखते हुये बताया की हां सर इसने दिये है। सर मुझे पता नही है किस बात के दिये है, इनसे नही मांगे मैने पैसे, यह मिठाई लेकर आया और इन्होने जबरदस्ती रख दिये मेरी जैब में पैसे, इन्होने अपने आप लाकर दे दिये मैने कोई डिमांड नही करी। इसकी बहिन का आंगनबाडी में चयन हो गया है। इस पर परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरी बहिन फरहनाज ने आंगनबाडी सहायिका के पद पर आवेदन किया था, मुझे इन्होने 12 तारीख को पैसे की डिमांड कर थी। मैने अभी इनको पैसे दिये है। रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार सैन पटवारी के पास सुरक्षित रखवायी गयी। इसके पश्चात आरोपी रामकिशन को कुर्सी पर बिठाकर तसल्ली देकर पूरा नाम पता पूछा तो रामकिशन ने अपना पूरा नाम पता रामकिशन कुम्हार पुत्र मोरी लाल जाति कुम्हार उम्र 54 वर्ष, निवासी गांव सुनारी, तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी गौतम कॉलोनी सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महिला एवं बाल विकास सवाई माधोपुर होना बताया। इसके पश्चात कार्यालय में से एक प्लास्टिक के जग में साफ पानी मंगवा कर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल उचित दूरी पर रखवाकर डिस्पोजल गिलासो में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनों गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। इस घोल के एक गिलास में आरोपी रामकिशन कुम्हार के दांये हाथ की अंगुलियों व दूसरे गिलास में बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो-दो साफ कॉच की शीषीयों में आधा-आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। दांहिने हाथ के धोवन की शीषीयों पर मार्क आरएच-1, आरएच-2, एवं बांये हाथ के धोवन की शीशीयों पर मार्क एलएच-1 व एलएच-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री रामकिशन कुम्हार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जैब से मिली रिश्वती राशि जो स्वतंत्र गवाह विजय कुमार सैन पटवारी के पास रखी हुयी को स्वतंत्र गवाहान से कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो पांच-पांच सौ रूपये के दस नोट हुबहु मिले। बरामद रिश्वत राशि पांच-पांच सौ के दस नोटों को एक सफेद रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री रामकिशन की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री अंकित कुमार गर्ग पटवारी से लिवाई गई तो आरोपी के पास कोई वस्तु नही मिली तथा आरोपी के कार्यालय कक्ष में रखी काम करने की टेबिल पर एक मोबाईल जो आरोपी ने स्वयं का होना बताया। मोबाईल एक सफेद प्लास्टिक के कवर में रखा हुआ है, बरंग पीछे आसमानी सफेद रेडमी लिखा हुआ। इसके पश्चात आरोपी श्री रामकिशन कुम्हार की पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से आरोपी के लिये पेन्ट मंगवाकर पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान खुलवाकर मंगवाया गया पेन्ट पहनाया गया तथा साफ पारदर्शी प्लास्टिक के एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामकिशन कुम्हार की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को भी दो साफ कॉच की शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील चस्पा कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पेन्ट को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क-पी अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री रामकिशन कुम्हार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की हाथ धुलाई की कार्यवाही एवं आरोपी रामकिशन कुम्हार से रिश्वत राशि बरामदगी की विडियो रिकॉर्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह अंकित कुमार गर्ग के मोबाईल से तैयार की गई। उक्त रिकॉर्डिंग का पृथक से पैन ड्राईव व डीवीडी तैयार की गई। आरोपित रामकिशन कुम्हार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से परिवादी की बहिन से सम्बंधित दस्तावेज पेश करने की कही तो आरोपी ने अपने कार्यालय की आलमारी से परिवादी की बहिन फरहानाज के दस्तावेज निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश करते हुये बताया कि फरहानाज का आंगनबाडी सहायिका के पद पर दिनांक 20.09.2024 को चयन हो चुका है। इस पर आरोपी रामकिशन द्वारा प्रस्ततु दस्तावेजो का अवलोकन कर उक्त मूल दस्तावेजों की फोटो प्रति करवाकर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर की अधिकारी समीक्षा कंवर शेखावत से प्रमाणित करवाकर उक्त फोटो प्रति दस्तावेजों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर तथा कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर के दिनांक 25.09.2024 के हाजरी रजिस्टर की फोटो प्रति करवाई गई। उक्त फोटो प्रति को प्रमाणित करवाकर वास्ते वजह सबूत संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। परिवादी से प्राप्त शुदा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे हुए को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन-देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द पूर्ण की गई, फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.30 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री विजय कुमार सैन पटवारी व श्री अंकित कुमार गर्ग पटवारी की उपस्थिति में परिवादी श्री अली हुसेन की निषादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल

पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय 02.05 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय हमराह गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यगण मय आरोपी रामकिशन कुम्हार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मय ट्रेप कार्यवाही में जप्त आर्टीकल्स, जप्त रिश्वती राशि, मय सरकारी लेपटॉप व प्रिंटर के जरिये प्राईवट वाहनों से बाद ट्रेप कार्यवाही कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, सवाई माधोपुर से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिये रवाना होकर समय 02.15 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्यालय पहुँचा। जप्त शुदा आर्टीकल्स व रिश्वत राशि कार्यवाहक मालखाना प्रभारी कानि. रमेश कुमार कानि. 469 के सुपुर्द कर मुताबिक फर्द के जमा मालखाना करवाये गये। इसके पश्चात समय 02.30 पीएम पर आरोपी रामकिशन कुम्हार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं परिवादी अली हुसैन के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ताओं के मुख्य मुख्य अंश चलाकर दोनो गवाहन एवं परिवादी के समक्ष सुनाये गये। उक्त रिकार्ड वार्ताओ में आरोपी रामकिशन कुम्हार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की रिकार्ड आवाज का परीक्षण कराने के लिये नमूना अवाज देने के लिये कहा गया तो आरोपी ने फर्द असहमति नमूना आवाज पर लिखकर दिया की मै अपनी आवाज का परीक्षण हेतु नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं अपने हस्ताक्षर किये। उक्त फर्द को शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय 03.00 पीएम पर आरोपी रामकिशन कुम्हार पुत्र मोरी लाल जाति कुम्हार उम्र 54 वर्ष, निवासी गांव सुनारी, तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी गौतम कॉलोनी सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महिला एवं बाल विकास सवाई माधोपुर को जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में मुताबिक फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की इच्छानुसार उसके भान्जे हरिप्रसाद को दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं चैक लिस्ट शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय 03.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह अंकित कुमार गर्ग पटवारी के मोबाईल से आरोपी रामकिशन कुम्हार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से रिश्वत राशि बरामदगी व हाथ धुलाई के समय वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त स्वतंत्र गवाह के मोबाईल को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर एक पेन ड्राईव व 02 डी.वी.डी. तैयार की गई जिसकी फर्द डबिंग डी.वी.डी. पृथक से तैयार कर सीलमोहर कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 04.30 पीएम पर वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 25.09.2024 को परिवादी अली हुसैन व आरोपी रामकिशन कुम्हार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 25.09.2024 जो डिजिटल वॉइस रिकार्डर के मेमे◌ारी कार्ड में रिकार्ड है, को परिवादी अली हुसैन एवं स्वतंत्र गवाहन के समक्ष रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 25.09.2024 को कार्यालय कम्प्यूटर से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सुन-सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 25.09.2024 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री हम्मीर सिंह कानि. से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क सी-1 व दो डीवीडीयां क्रमश- मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क सी-2, सी-3 अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई तथा जरिये कम्प्यूटर मूल मेमोरी कार्ड की हैज वैल्य की गणना कर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन के समय उपयोग मे लिए गये उक्त मैमोरी कार्ड जिनमें दिनांक 12.09.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 17.09.2024 की रिश्वत लेन-देन संबंधित वार्ता एवं दिनांक 25.09.2024 की रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड है। उक्त मैमोरी कार्ड को माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे◌ की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्का एम-1 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.05 पीएम पर आरोपी रामकिशन कुम्हार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर का निवासी है तथा आरोपी के विरूध्द की गई ट्रेप कार्यवाही स्वयं के विभाग में होने के कारण एवं आरोपी का निवास स्थान भी पास में ही होने के कारण एवं स्थानीय पब्लिक एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है तथा ब्यूरो चौकी पर मात्र एक अधिकारी होने से व ट्रेप कार्यवाही में समय अधिक लगने से आरोपी के रिहायसी मकान की खाना तलाशी नही ली गई। इसके पश्चात समय 06.15 पीएम पर मूल पेन ड्राईव शील्ड मार्क सी-1, डी-1 कुल 2 को एवं मुल्जिम प्रति शील्ड डीवीडी मार्क सी-2, डी-2 कुल दो डीवीडी एवं मैमोरी कार्ड मार्क एम-1 कुल 1 को श्री रमेश कुमार कानि. 469 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इसके पश्चात समय 06.50 पीएम पर आरोपी रामकिशन कुम्हार पुत्र मोरी लाल जाति कुम्हार उम्र 54 वर्ष, निवासी गांव सुनारी, तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी गौतम कॉलोनी सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का मेडीकल मुआयना हेतु श्री मनोज कानि. 133, श्री हम्मीर सिंह कानि. 02, प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन के पृथक-पृथक तहरीर देकर राजकीय सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर व पुलिस थाना मानटाउन रवाना किया गया। जो समय 08.05 पीएम पर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर आरोपी को निगरानी की दृष्टि से पुलिस थाना मानटाउन में बन्द हवालात करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर रवाना होकर ब्यूरो चौकी उपस्थित आये। इसके पश्चात समय 08.25 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह

सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि परिवादी श्री अली हुसैन पुत्र अलताफ हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी बिसायती मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर की बहिन फरहानाज पुत्री अलताफ हुसैन निवासी शहर सवाई माधोपुर द्वारा आगंनबाडी सहायिका के पद पर महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर में आवेदन करने परिवादी अली हुसैन आरोपी श्री रामप्रकाश कुम्हार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से मिला, जिस पर आरोपी द्वारा परिवादी की बहिन फरहानाज का चयन आंगनबाडी सहायिका के पद पर करा देने की एवज में 20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 12.09.2024 को ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पर उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र उक्त आशय का पेश करने पर रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 12.09.2024 को आरोपी रामकिशन द्वारा परिवादी अली हुसैन से 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 25.09.2024 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी रामकिशन कुम्हार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को 5,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगें हाथों पकडा गया। रिश्वत राशि पांच हजार रूपये आरोपी रामकिशन कुम्हार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद की गई। आरोपी का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय होने से आरोपी श्री रामकिशन कुम्हार पुत्र मोरी लाल जाति कुम्हार उम्र 54 वर्ष, निवासी गांव सुनारी, तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी गौतम कॉलोनी सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महिला एवं बाल विकास सवाई माधोपुर के विरूध्द अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. जयपुर प्रेषित है। (सुरेन्द्र कुमार शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में आरोपी श्री रामकिशन कुम्हार पुत्र मोरी लाल जाति कुम्हार उम्र 54 वर्ष, निवासी गांव सुनारी, तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी गौतम कॉलोनी सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महिला एवं बाल विकास सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 405 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1159-62 दिनांक 26-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर। 2-निदेशक, बाल विकास सेवायें, 2 जल पथ, गांधीनगर, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्विवीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) :

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]/2024 [illegible]

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	18/11/1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)